

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2021—कार्तिक 14, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2021

क्र. 887.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियमों में,—

1. विनियम 2 में, खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(ज-क) “निःशक्त व्यक्ति” से अभिप्रेत है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 2016 (Act No.-49 of 2016) की परिभाषा 2 (घ) में परिभाषित निःशक्त व्यक्ति.”.

2. विनियम 17 में, उपधारा (1) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि विनियम-5 की अनुसूची-1 में वर्णित समस्त संवर्गों में निःशक्तजनों के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण पदोन्नति पर लागू होगा. समस्त संवर्गों के लिये इस प्रकार किया गया आरक्षण होरिजोन्टल (Horizontal) होगा.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत यादव, आयुक्त.

No. 887.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India read with Section-102 of Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board Act, 1972, the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (Organizational and Recruitment) Regulation, 2016, namely :—

AMENDMENTS

In the said Regulations—

1. In Regulation 2, after clause (h), the following clause shall be added.

"(h-a) "Persons with disabilities" means the "Person with disabilities" as defined in Section 2(s) of THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT NO. 49 OF 2016"

2. In Regulation-17, in sub-section (1), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted.

"Provided that 6 percent reservation shall be applicable for the disabled persons in all the cadres mentioned in Schedule 1 of Regulation 5. This reservation so made for all cadres shall be "Horizontal".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

BHARAT YADAV, Commissioner.